न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 01/2020/अपील

उनवान

1. चेनराम उर्फ चैनसिंह पि. कन्हीराम जाति धाकड नि. चछलाई तहसील सुनेल

—— अपीलांटस

बनाम

1. पानबाई बेवा कन्हीराम धाकड वर्तमान पत्नि बालाराम जाति धाकड नि. बोरखेडी हाल मु.गादिया तहसील सुनेल
2. सरपंच ग्राम पंचायत चछलाव पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—— रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 20.03.2004 नामा.सं. 219

ग्राम पंचायत चछलाव

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री हुकुमचन्द कुमावत

आदेश दिनांक : 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत चछलाव द्वारा निर्णित नामा.सं. 219 दिनांक 20.03.2004 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चछलाव के खाता सं. 9 की आराजी ख.नं. 193 रकबा 8 बिस्वा एवं खाता सं. 10 किता 7 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि खातेदार कन्हीराम पि. बरदा , रामनारायण , चुन्नीलाल , हीरालाल पिस. कूका , रामसिंह ,हरीसिंह , प्रहलाद , कैलाश , जानकीलाल , बालचन्द पिस. बापूलाल के सहखातेदारी की रही है। कन्हीराम पि. बरदा की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण सं. 219 दिनांक 20.03.2004 को ग्राम पंचायत चछलाव द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें तैयार किये गये शजरे में पानबाई को मृतक कन्हीराम की बेवा बताते हुये स्वीकृत किया गया। यह प्रविष्ठि गलत है जिससे व्यथित होकर अपील पेश की गई। उक्त नामा.सं. 219 बिना किसी विधिक जांच एवं रिकार्ड के स्वीकृत किया गया जो कि खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट पानबाई अपने पति कन्हीराम के जीवनकाल में अपीलांट को बाल अवस्था में छोडकर अपने सभी अधिकार , कर्तव्य दायित्व को त्याग कर पति से संबंध विच्छेद कर बालाराम धाकड बोरखेडी वाले से दूसरा विवाह कर लिया था तथा पानबाई के पति के अधिकार बालाराम के प्रति उद्‌भव हुये है। वर्तमान में भी पानबाई राजस्व रिकार्ड में बालाराम की बेवा के रूप में जानी पहचानी जाती है। नामा.सं. 219 की परत में भी बेवा के स्थान पर नाते जाना बताया गया है परन्तु अपीलांट की जानकारी के बिना सक्षम जांच किये बिना ही मनमाने तरीके से ग्राम पंचायत द्वारा पानबाई का नाम दर्ज कर दिया जो कि गलत है। अपीलांटस द्वारा राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तब इस बात की जानकारी हुई।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत चछलाव का आदेश नामा.सं. 219 दिनांक 20.03.2004 को निरस्त कर अपीलांटस के पक्ष में निहित राहत प्रदान करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम चछलाव के नामा.सं. 219 , जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 23, 22 की नकल , जमाबंदी सं. 2056–59 के खाता सं. 10 की नकल , वोटर आई डी , आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 2 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्टस सं. 3 तहसीलदार सुनेल की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील अपीलांटस की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम चछलाव के खाता सं. 9 की आराजी ख.नं. 193 रकबा 8 बिस्वा एवं खाता सं. 10 किता 7 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 219 में वर्णित शजरे में मृतक खोतदार कन्हीराम पि. बरदा की बेवा पानबाई के संबंध में यह रिपोर्ट अंकित की गई कि नाम व बेवा की स्थिति , कहां गई जीवित है या मृत है , स्पष्ट करे। ग्राम पंचायत चछलाव द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक करते समय किसी प्रकार की जांच का अंकन नहीं कर नामा.सं. 219 से मृतक खातेदार के पुत्र चेनराम व बेवा पानबाई का नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांटस को सुने बिना उक्त नामान्तरण तस्दीक किया जो कि सही नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Chahar
Date: 2023.01.30 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम चछलाव के खाता सं. 9 की आराजी ख.नं. 193 रकबा 8 बिस्वा एवं खाता सं. 10 किता 7 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 219 दि. 20.03.2004 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सुनेल को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि मृतक खोतदार कन्हीरात पि. बरदा के संबंध में समुचित जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner